न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 37 / 2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

रमनदीप पुत्र श्री बलजीत सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

—वादी

बनाम्

1. बलजीत सिह पुत्र टेक सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
2. देवेन्द्रसिह पुत्र पुत्र टेक सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री बलवन्त झोरड़ एडवोकेट (वादी)
2. श्री संजय धारणियां एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः— 17.3.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि चक 2 आरटीपी जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 23/46 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पति है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सख्या 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें वादी का घरू विभाजन अनुसार हक व हिस्सा बनता है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व खाता विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का वादी के कब्जा काश्त में है उक्त कृषि भूमि के कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपरोक्त खाता की कृषि भूमि का घरू विभाजन कर लिया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पूर्व में ही अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि प्राप्त कर ली है। वादी को घरू विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण निम्नप्रकार से है चक 2 आरटीपी खाता संख्या 23/46 प.न. 195/165 मु.न. 43 किला नं. 19, 22/0.253 है.प्र. 23/3/0.051 है. प.न. 195/166 मु.न. 47 किला नं. 1/0.253 है. 2/2/0.240 है. 2/2/0.013 है. 3/1/0.063 है. 4/0.013 है. कुल 1.139 है. वादी चक 2 आरटीपी ज.स. 2071—74 के खाता संख्या 23/46 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व उक्तानुसार ही प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम करवाने का अधिकारी एव दावेदार है। वादी मौका पर वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार ही काबिज है कब्जा काश्त बाबत किसी तरह का कोइ विवाद नही है लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन न होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकरों पर बुरा असर पडता है सीव बट को लेकर विवाद बना रहता है व रकम राज वाटर मेन्ट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा की आप विवाद ग्रस्त आराजी वादी को दावा की चरण संख्या 4 व 5 के अनुसार कृषि भूमि की घोषणा व विभाजन होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो आज कल आज कल करते रहे। किन्तु बाद में ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में विवाधक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 व्या.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 2 आरटीपी खाता सं. 23/46 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व इसी चक का नामान्तरण संख्या 358 दिनांक 16.10.2025 प्रदर्श–2 करवाये। तथा प्रकरण संख्या 385/2025 अनवान बलजीत सिह बनाम जसप्रीत सिह वगैरा में पारित डिक्री दिनांक 16.09.2025 की फोटोप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 2 आरटीपी खाता सं. 23/46 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रतिवादी संख्या 1 बलजीत सिह के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने नामान्तरण संख्या 358 दिनांक 16.10.2025 की प्रमाणित जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है एवं प्रकरण संख्या 385/2025 अनवान बलजीत सिह बनाम जसप्रीत सिह वगैरा में पारित डिक्री दिनांक 16.09.2025 की फोटोप्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 बलजीत सिह का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 ता 3 से पैतृक साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 2 आरटीपी खाता संख्या 23/46 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को प.न. 195/165 मु.न. 43 किला नं. 19, 22/0.253 है.प्र. 23/3/0.051 है. प.न. 195/166 मु.न. 47 किला नं. 1/0.253 है. 2/2/0.240 है. 2/2/0.013 है. 3/1/0.063 है. 4/0.013 है. कुल 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.3.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 37/2026

रमनदीप पुत्र श्री बलजीत सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।

–वादी

बनाम्

1. बलजीत सिह पुत्र टेक सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
2. देवेन्द्रसिह पुत्र पुत्र टेक सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बलवन्त झोरड़ एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 2 श्री संजय धारणियां एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 2 आरटीपी खाता संख्या 23/46 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को प. न. 195/165 मु.न. 43 किला नं. 19, 22/0.253 है.प्र. 23/3/0.051 है. प.न. 195/166 मु.न. 47 किला नं. 1/0.253 है. 2/2/0.240 है. 2/2/0.013 है. 3/1/0.063 है. 4/0.013 है. कुल 1.139 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर इसी अनुसार खाता अलग कायम कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार अमलदरामद किया जावे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.3.2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया